न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019RAAJu223RTA034 Ramlal etc Vs Siddharam n ors

1. रामलाल पुत्र दुर्गाराम मेघवाल
2. माडु पत्नी दुर्गाराम मेघवाल
3. मेराज पुत्र केवलराम मेघवाल
4. मगाराम पुत्र रुग्गाराम मेघवाल
5. सहीराम पुत्र रुग्गाराम मेघवाल
6. तुलसाराम पुत्र रुग्गाराम मेघवाल
7. राधा पत्नी रुग्गाराम मेघवाल
8. बुधाराम पुत्र केवलराम मेघवाल
9. खेमाराम पुत्र हुकमाराम मेघवाल
10. भोमाराम पुत्र हुकमाराम मेघवाल
11. घेवरराम पुत्र चोलाराम मेघवाल
12. दमाराम पुत्र गुणेशाराम मेघवाल

निवासीगण भीयाडिया, तहसील ओसियां
जिला जोधपुर

----- **अपीलाण्ड्स**

ब

ना

म

1. सिद्धाराम पुत्र चैनाराम मेघवाल
2. हिम्मताराम पुत्र चैनाराम चैनाराम जरिये कायममुकामान--
    a. मांगीलाल पुत्र हिम्मताराम मेघवाल
    b. ओमाराम पुत्र हिम्मताराम मेघवाल
    c. गंगा पत्नी हिम्मताराम मेघवाल
3. भोमाराम पुत्र पन्नाराम मेघवाल
4. धर्माराम पुत्र पन्नाराम मेघवाल
5. मेघाराम पुत्र पन्नाराम मेघवाल (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता भीखी देवी पत्नी पन्नाराम मेघवाल)
6. भीखी देवी पत्नी पन्नाराम मेघवाल
7. दुडाराम पुत्र उम्मेदाराम मेघवाल
8. रावलराम पुत्र हुकमाराम मेघवाल
9. बेराराम पुत्र हुकमाराम मेघवाल
10. लूणाराम पुत्र हुकमाराम मेघवाल
11. गंगाराम पुत्र हुकमाराम मेघवाल
12. पुखाराम पुत्र हुकमाराम मेघवाल
13. सायरी पत्नी हुकमाराम मेघवाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निवासीगण भीयाडिया, तहसील ओसियां
जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर ओसियां दिनांक 01 जून 2016 राजस्व वाद संख्या 43/2008 सिद्धाराम व अन्य बनाम रामलाल इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री रमेश कुमार, अधिवक्तां-अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 08 नवम्बर 2019

अपीलाण्ट्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर ओसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 43/2008 सिद्धाराम व अन्य बनाम रामलाल आदि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 01 जून 2016 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 01 मार्च 2019 को पेश की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 53 तथा 188 के तहत एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 2301 रकबा 103 बीघा, खसरा संख्या 2587 रकबा 4 बीघा 10बिस्वा कुल किता 2 रकबा 107 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा भीयाडिया वादीगण-रेस्पो. तथा प्रतिवादीगण की बहिस्सा बराबर-बराबर संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे-काश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

की पुश्तैनी भूमि होना जाहिर करते हुए पेश कर तदनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन और स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। प्रतिवादीगण ने उक्त वाद का लिखित जबाब प्रस्तुत कर खण्डन किया और जाहिर किया कि वादपत्र में वादीगण-रेस्पो. द्वारा सजरा-खानदान गलत वर्णित किया गया है, वास्तव में वादीगण-रेस्पो. का वादग्रस्त आराजियात में मात्र ¼ हक-हिस्सा ही बनता है। इसके बाद दिनांक 01 जून 2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा (प्रकरण तनकियात कायमी हेतु लम्बित चलने के दौरान) लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र भीकमकौर में पत्रावली पेश होना, प्रतिवादी की ओर से जबाब में वादीगण का ¼ हिस्सा स्वीकार किया जाना, वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होना आदि वर्णित करते हुए आदेशिका में ही वाद स्वीकार कर वादीगण को वादग्रस्त आराजियात के ½ हिस्से का खातेदार घोषित कर प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश देते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब किये। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो दावे एवं जबाब के आधार पर विधिवत तनकियात कायम की गयी है, न ही प्रकरण लोक-अदालत कैम्प कोर्ट भीकमकौर में सुनवाई हेतु रखे जाने बाबत प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स को किसी प्रकार की कोई सूचना दी गयी तथा न ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने के पूर्व उन्हें साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर दिया गया। बिना साक्ष्य-सबूत और सुनवाई के वादपत्र में लिखे अनुसार वादीगण का ½ हिस्सा मानने और प्रतिवादीगण द्वारा जबाव-पत्र में लिखे अनुसार वादीगण का ¼ हिस्सा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं मानने का कोई कारण एवं आधार भी अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री लोक अदालत कैम्प कोर्ट भीकमकौर में अपीलाण्ट्स को बिना कोई सूचना दिये उनकी अनुपस्थिति में पारित किया गया, अतः समुचित समय में अपीलाधीन निर्णय बाबत अपीलाण्ट्स को जानकारी नहीं हो पायी। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में जब पटवारी हळका दिनांक 15 फरवरी 2019 को मौके पर नाप करने आये, और अपीलाधीन निर्णय बाबत अपीलाण्टस को बताया, तब अविलम्ब अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की अधीनस्थ न्यायालय से नकलें प्राप्त की तो दिनांक 19 फरवरी 2019 को विधिवत जानकारी हुई और जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष पेश कर दी। अतः अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावें और वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के बाद अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है और विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समस सीमा अधिनियम में तथ्यों का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है, यथा, पटवारी हळका द्वारा किस अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश बाबत बताया गया। इसके अलावा, प्रकरण लोक अदालत कैम्प कोर्ट भीकमकौर में रखा जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने के पूर्व मामले में पहले की पेशी दिनांक 28 अप्रेल 2016 की आदेशिका अनुसार आइन्दा पेशी 16 अगस्त 2016 मुकर्रर की गयी थी, तो अपीलाण्ट्स पटवारी हळका से फरवरी 2019 में मौके पर आकर जानकारी होने तक इंतजार करते रहे, अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय में 16 अगस्त 2016 की मुकर्रर पेशी या उसके बाद करीब 32 माह की समयावधि में अधीनस्थ न्यायालय में जाकर वाद की कार्यवाही बाबत कोई जानकारी प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, यह स्वभाविक एवं मानने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट्स मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

गुणावगुण के संबंध में अधिवक्ता-रेस्पो. का कथन है कि वादीगण-रेस्पो. का वादग्रस्त आराजियात में ½ हिस्सा बनने का आधार सजरा खानदान से अपने-आप स्पष्ट हो जाता है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब और अपील मीमो में परस्पर विरोधाभासी तथ्य वर्णित किये है। अतः प्रस्तुत अपील मियाद-बाधित एवं सारहीन होने से खारिज की जावे तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत रखे जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत होने के बाद दिनांक 01 जून 2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा (प्रकरण तनकियात कायमी हेतु लम्बित चलने के दौरान) लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र भीकमकौर में पत्रावली पेश होना, प्रतिवादी की ओर से जवाब में वादीगण का ¼ हिस्सा स्वीकार किया जाना, वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होना आदि वर्णित करते हुए आदेशिका में ही वाद स्वीकार कर वादीगण को वादग्रस्त आराजियात के ½ हिस्से का खातेदार घोषित कर प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश देते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब किये। प्रकरण लोक-अदालत कैम्प कोर्ट भीकमकौर में सुनवाई हेतु रखे जाने बाबत प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स को किसी प्रकार की कोई सूचना दिया जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निर्धारित विधिक प्रक्रिया तथा नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं पाये जाने से समर्थन किये जाने योग्य नहीं है।

जहॉ तक अपील पेश करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर यह प्रतिपादित किया गया है कि जहॉ मामला गुणावगुण पर सारवान पाया जावे, वहॉ मियाद जैसे तकनीकी आधार पर प्रकरण खारिज किया जाकर पक्षकार के लिए न्यायप्राप्ति की राह में बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिये। आलौच्य अपील गुणावगुण पर सारवान पायी जाती है, अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में वर्णित विन्दुओं एवं अधिवक्ता-अपीलाण्ट की बहस पर विश्वास करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील मियादशुमार की जाती है और गुणावगुण पर अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 जून 2016 अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि दावे एवं जवाब के आधार पर तनकियात कायम की जावे और उभयपक्षकारान को सम्बद्ध तनकियात साबित करने और अपना पक्ष सिद्ध करने हेतु साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया जावे। फिर प्रस्तुत साक्ष्य सबूत की रोशनी में तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए मूल वाद में नये सिरे से विधिसम्मतः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 8/11/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर